न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/03/17

कप्तान सिंह पुत्र श्री मुन्शी जाति जाट निवासी मालौनी तहसील रुपवास जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

विशम्भर पुत्र श्री गुलाब जाति जाटव निवासी कारई तहसील रुपवास जिला भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार रुपवास दिनांक 30–12–2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2016 शीर्षक विशम्बर बनाम कप्तानसिंह ।

———

उपस्थितः–

1–श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,

आदेश

दिनांक 28.07.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्व रेस्पो व खिलाफ तहसीलदार रुपवास निर्णय दिनांक 30–12–2016 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार रुपवास ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अन्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 165 रकवा 5 वीघा ग्रांम मालोनी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने, पैनल्टी कायम किये जाने एवं विवादित आराजी का कब्जा रेस्पो0 को दिलाये जाने की आज्ञा दी गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने ये अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गया। रेस्पो. एवं उसके अभिभाषक को कई मर्तवा आवाज लगवाई गई, रेस्पो. या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवाधक कायम किये प्रकरण का निस्तारण कर दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को विवाधक कायम कर प्रकरण निर्णित करना चाहिये था। वकील अपीलान्ट ने अपन तर्को में यह भी जाहिर किया कि धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल कार्यवाही 12 साल के अन्दर करने का प्रावधान है। इस विवादित आराजी को अपीलान्ट के पिता ने स्टाम्प पर श्रीमती बरफी से खरीदा है विवादित आराजी पर तभी से अपीलान्ट का कब्जा सन् 1981 से चला आरहा है, 36 वर्ष पुराना कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अवधि पार एवं विधि विरुद्व होने से काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी 1986 पेज 411 की ओर हमारा ध्यान आकृर्षित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध जबाब प्रार्थना पत्र रेस्पो0 का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कथन कि उसने विवादित आराजी जरिये स्टाम्प श्रीमती बरफी से खरीदा है उसे कोई मदद नहीं करता है। क्योंकि श्रीमती बरफी पत्नी नवल सिंह जाति से जाटव है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है और क्रेता जाति से जाट है जो सवर्ण जाति की श्रेणी में आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही शून्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183ख –

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कुछ भी बात होते हुये भी वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाए रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किस लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हो, वेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जें में रहा है शास्ति के रुप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक से (पचास गुनी) तक हो सकेगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(2)उपधारा (1)के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संक्षित रुप में की जायेगी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 165/5–18 वीघा रेस्पो विश्म्भर पुत्र गुलाव जाति जाटव ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.01.2013 को बरफी पत्नी नवलसिंह जाति जाटव से क्रय किया था। जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 ग्राम मालोनी तहसील रुपवास में रेस्पो0 खातेदार दर्ज है। तहसीलदार रुपवास ने प्रार्थी विश्म्भर पुत्र गुलाव जाति जाटव के प्रार्थना पत्र पर जॉच में अपीलान्ट को पार्याप्त सुनाई का अवसर देकर हल्का पटवारी के बयान, मौका रिर्पोट व राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी में प्रार्थना पत्र संक्षित कार्यवाही कर विधिवत निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। हम अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2016 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)